

दिनांक :- 26/04/2023

Ref. No. : 5316644/LRN/2022



1. Bhadur SINGH C/O JAGMAL SINGH

BORROWER

DARABARPUR, TAHSIL, MUNDAWAR, SIHALI KALUKA
ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401


| SR.NO | CUSTOMER TYPE | CUSTOMER NAME |
|-------|--------------------|--|
| 1. | (Borrower):- | Bhadur SINGH C/O JAGMAL SINGH DARABARPUR, TAHSIL, MUNDAWAR, SIHALI KALUKA ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401 |
| 2. | (Co-Borrower 01):- | GEETA DEVI C/O MOHANLAL DARABARPUR, TEH, MUNDAWAR ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401 |
| | (Co-Borrower 02):- | NIL |
| | (Co-Borrower 03):- | NIL |
| 3. | (GTR 01):- | DHEERENDRA GUPTA C/O POORANMAL WARD, NO. 14, BANIYON KA MOHLLA, SHAHJAHANPUR, ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301706 |
| | (GTR 02):- | NIL |
| | (GTR 03):- | NIL |

महोदय/महोदया

मेरी अभिभाष्या इसके फाईनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर, राजस्थान की ओर से आज दिनांक से पूर्व में दिया गया लोन रिकॉल नोटिस निरस्त करते हुए आपको उक्त विधिक नोटिस निम्न प्रकार प्रेषित है :-

- यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है।
- यह कि आपने मेरी अभिभाष्या कम्पनी से दिनांक **8/05/2018** को ऋण अनुबन्ध खाता संख्या **5316644** निष्पादित कर वाहन **TRAX TOOFAN_FORCE_COMM_VEH** रजिस्ट्रेशन नम्बर **-RJ02TA3021** इंजन नम्बर **D69008671** एवं चैसिस नम्बर **MC1D4DCAXJP080087** पर **690000/-** रुपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी, जिसकी फाईनेंस राशि की अदायगी आपको अनुबन्धनुसार नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहन मेरी अभिभाष्या कम्पनी के पास हाइपोथीकेट एवं प्रथम चार्ज रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा। उपरोक्त ऋण अनुबन्ध में आप कम संख्या 01 ऋणी, आप कम संख्या 02 सहऋणी तथा आप कम संख्या 03 गारन्टर है जोकि ऋण अनुबन्ध के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक- पृथक रूप से उत्तरदायी है।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आरबीआई के निर्देशानुसार, मेरी अभिभाष्या कम्पनी के द्वारा आपको **5** महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई थी। **25128/-** रुपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तीय सुविधा **715128 -** रुपये की हो गई है। तत्पश्चात आपके आवेदन पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपके उक्त ऋण अनुबन्ध संख्या **5316644** पर पुनर्गठन कि सुविधा भी दिनांक **03-Jul-21** को दी गयी थी एवं आपकी वित्तीय सुविधा पुनर्गठन के उपरान्त **790568/-** रुपये की हो गयी है।
- यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार एवं ऋण पुनर्गठन के पश्चात आपको फाईनेंस राशि की अदायगी रुपये **18860/-** कि **59** नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती उक्त वाहन को आपको अपने आधिपत्य में रखना था एवं मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाना था। निष्पादित अनुबन्ध में यह तय पाया गया था कि आप द्वारा तयशुदा समय पर किश्त की अदायगी में चूक कारित करने पर या अनुबन्ध की किसी भी शर्त को भंग करने पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी को ऋण सुविधा को रिकॉल करने एवं वित्तीय सुविधा पर दिए गए प्रश्नगत वाहन को अपने आधिपत्य में लेने एवं बेचान करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपको सूचित करते हुए खेद व्यक्त करती है कि ऋण अनुबन्ध की नियम व शर्तों से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर ऋण अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निरन्तर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे हैं। मेरी अभिभाष्या कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। आपका प्रश्नगत वाहन पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार भी समाप्त हो गया है परन्तु आप द्वारा प्रश्नगत वाहन का कब्जा भी मेरी अभिभाष्या कम्पनी को सुपुर्द नहीं किया है। आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण मेरी अभिभाष्या कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।
- यह कि आप द्वारा निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों में लगातार चूक कारित किये जाने के कारण ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपके द्वारा डिफाल्ट कारित किया गया है। अतः मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपकी ऋण सुविधा को रिकॉल किया जाता है। आपके जिम्मे मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार आज दिनांक तक कुल फोरक्लोजर राशि **353667/-** रुपये बकाया है, जिसे मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कृपया सूचित रहें कि उपरोक्त अनुरोध की विफलता की स्थिति में, यह माना जाएगा कि ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत विवाद उत्पन्न हो गया है और उक्त विवाद को ऋण समझौते के अनुसार पंच महोदय को मध्यस्थता के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।

लिहाजा आपको उक्त विधिक नोटिस प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप उक्त विधिक नोटिस की दिनांक से 7 दिवस में मेरी अभिभाष्या कम्पनी के नजदीकी शाखा कार्यालय पर अपने जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोरक्लोजर राशि तुरन्त प्रभाव से अदा कर रसीद प्राप्त कर ले अन्यथा मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार आधिपत्य में लेने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं प्रश्नगत वाहन को आधिपत्य में लिये जानें के पश्चात मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अधिकतम कोटेशन राशि पर विक्रय कर बेचान राशि आपके ऋण खातों में समायोजित कर दी जावेगी व यदि कोई शेष बकाया रहा तो वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि वाहन के दस्तावेज आर.सी., परमिट इत्यादि सुपुर्द कर दें ताकि अधिकतम राशि पर वाहन विक्रय हो सके नही तो डुप्लीकेट पेपर की आरटीओ में कार्यवाही भी आपके खर्चे पर की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरी अभिभाष्या कम्पनी को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत एवं प्रचलित विधि के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। अतः आप सूचित रहें।

भवदीय


महेन्द्र कुमार शर्मा
(एडवोकेट)

दिनांक :- 26/04/2023

Ref. No. : 5316644/LRN/2022



1. GEETA DEVI C/O MOHANLAL

CO-BORROWER

DARABARPUR, TEH, MUNDAWAR ALWAR 019 ON ROAD
Alwar Alwar Rajasthan 301401


| SR.NO | CUSTOMER TYPE | CUSTOMER NAME |
|-------|--------------------|--|
| 1. | (Borrower):- | Bhadur SINGH C/O JAGMAL SINGH DARABARPUR, TAHSIL, MUNDAWAR, SIHALI KALUKA ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401 |
| 2. | (Co-Borrower 01):- | GEETA DEVI C/O MOHANLAL DARABARPUR, TEH, MUNDAWAR ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401 |
| | (Co-Borrower 02):- | NIL |
| | (Co-Borrower 03):- | NIL |
| 3. | (GTR 01):- | DHEERENDRA GUPTA C/O POORANMAL WARD, NO. 14, BANIYON KA MOHLLA, SHAHJAHANPUR, ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301706 |
| | (GTR 02):- | NIL |
| | (GTR 03):- | NIL |

महोदय/महोदया

मेरी अभिभाष्या इसके फाईनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर, राजस्थान की ओर से आज दिनांक से पूर्व में दिया गया लोन रिकॉल नोटिस निरस्त करते हुए आपको उक्त विधिक नोटिस निम्न प्रकार प्रेषित है :-

- यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है।
- यह कि आपने मेरी अभिभाष्या कम्पनी से दिनांक **8/05/2018** को ऋण अनुबन्ध खाता संख्या **5316644** निष्पादित कर वाहन **TRAX TOOFAN_FORCE_COMM_VEH** रजिस्ट्रेशन नम्बर **-RJ02TA3021** इंजन नम्बर **D69008671** एवं चैसिस नम्बर **MC1D4DCAXJP080087** पर **690000/-** रुपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी, जिसकी फाईनेंस राशि की अदायगी आपको अनुबन्धनुसार नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहन मेरी अभिभाष्या कम्पनी के पास हाइपोथीकेट एवं प्रथम चार्ज रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा। उपरोक्त ऋण अनुबन्ध में आप कम संख्या 01 ऋणी, आप कम संख्या 02 सहऋणी तथा आप कम संख्या 03 गारन्टर है जोकि ऋण अनुबन्ध के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक- पृथक रूप से उत्तरदायी है।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आरबीआई के निर्देशानुसार, मेरी अभिभाष्या कम्पनी के द्वारा आपको **5** महिनो की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई थी। **25128/-** रुपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तीय सुविधा **715128 -** रुपये की हो गई है। तत्पश्चात आपके आवेदन पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपके उक्त ऋण अनुबन्ध संख्या **5316644** पर पुनर्गठन कि सुविधा भी दिनांक **03-Jul-21** को दी गयी थी एवं आपकी वित्तीय सुविधा पुनर्गठन के उपरान्त **790568/-** रुपये की हो गयी है।
- यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार एवं ऋण पुनर्गठन के पश्चात आपको फाईनेंस राशि की अदायगी रुपये **18860/-** कि **59** नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती उक्त वाहन को आपको अपने आधिपत्य में रखना था एवं मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाना था। निष्पादित अनुबन्ध में यह तय पाया गया था कि आप द्वारा तयशुदा समय पर किश्त की अदायगी में चूक कारित करने पर या अनुबन्ध की किसी भी शर्त को भंग करने पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी को ऋण सुविधा को रिकॉल करने एवं वित्तीय सुविधा पर दिए गए प्रश्नगत वाहन को अपने आधिपत्य में लेने एवं बेचान करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपको सूचित करते हुए खेद व्यक्त करती है कि ऋण अनुबन्ध की नियम व शर्तों से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर ऋण अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निरन्तर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे है। मेरी अभिभाष्या कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। आपका प्रश्नगत वाहन पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार भी समाप्त हो गया है परन्तु आप द्वारा प्रश्नगत वाहन का कब्जा भी मेरी अभिभाष्या कम्पनी को सुपुर्द नहीं किया है। आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण मेरी अभिभाष्या कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।
- यह कि आप द्वारा निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों में लगातार चूक कारित किये जाने के कारण ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपके द्वारा डिफाल्ट कारित किया गया है। अतः मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपकी ऋण सुविधा को रिकॉल किया जाता है। आपके जिम्मे मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार आज दिनांक तक कुल फोरक्लोजर राशि **353667/-** रुपये बकाया है, जिसे मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कृपया सूचित रहें कि उपरोक्त अनुरोध की विफलता की स्थिति में, यह माना जाएगा कि ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत विवाद उत्पन्न हो गया है और उक्त विवाद को ऋण समझौते के अनुसार पंच महोदय को मध्यस्थता के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।

लिहाजा आपको उक्त विधिक नोटिस प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप उक्त विधिक नोटिस की दिनांक से 7 दिवस में मेरी अभिभाष्या कम्पनी के नजदीकी शाखा कार्यालय पर अपने जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोरक्लोजर राशि तुरन्त प्रभाव से अदा कर रसीद प्राप्त कर ले अन्यथा मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार आधिपत्य में लेने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं प्रश्नगत वाहन को आधिपत्य में लिये जानें के पश्चात मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अधिकतम कोटेशन राशि पर विक्रय कर बेचान राशि आपके ऋण खातों में समायोजित कर दी जावेगी व यदि कोई शेष बकाया रहा तो वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि वाहन के दस्तावेज आर.सी., परमिट इत्यादि सुपुर्द कर दें ताकि अधिकतम राशि पर वाहन विक्रय हो सके नही तो डुप्लीकेट पेपर की आरटीओ में कार्यवाही भी आपके खर्चे पर की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरी अभिभाष्या कम्पनी को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत एवं प्रचलित विधि के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। अतः आप सूचित रहें।

भवदीय


महेन्द्र कुमार शर्मा
(एडवोकेट)

दिनांक :- 26/04/2023

Ref. No. : 5316644/LRN/2022



1. DHEERENDRA GUPTA C/O POORANMAL

GTR

WARD, NO. 14, BANIYON KA MOHLLA, SHAHJAHANPUR,
ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301706

| SR.NO | CUSTOMER TYPE | CUSTOMER NAME |
|-------|--------------------|--|
| 1. | (Borrower):- | Bhadur SINGH C/O JAGMAL SINGH DARABARPUR, TAHSIL, MUNDAWAR, SIHALI KALUKA ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401 |
| 2. | (Co-Borrower 01):- | GEETA DEVI C/O MOHANLAL DARABARPUR, TEH, MUNDAWAR ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401 |
| | (Co-Borrower 02):- | NIL |
| | (Co-Borrower 03):- | NIL |
| 3. | (GTR 01):- | DHEERENDRA GUPTA C/O POORANMAL WARD, NO. 14, BANIYON KA MOHLLA, SHAHJAHANPUR, ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301706 |
| | (GTR 02):- | NIL |
| | (GTR 03):- | NIL |

महोदय/महोदया

मेरी अभिभाष्या इसके फाईनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर, राजस्थान की ओर से आज दिनांक से पूर्व में दिया गया लोन रिकॉल नोटिस निरस्त करते हुए आपको उक्त विधिक नोटिस निम्न प्रकार प्रेषित है :-

- यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है।
- यह कि आपने मेरी अभिभाष्या कम्पनी से दिनांक **8/05/2018** को ऋण अनुबन्ध खाता संख्या **5316644** निष्पादित कर वाहन **TRAX TOOFAN_FORCE_COMM_VEH** रजिस्ट्रेशन नम्बर **-RJ02TA3021** इंजन नम्बर **D69008671** एवं चैसिस नम्बर **MC1D4DCAXJP080087** पर **690000/-** रुपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी, जिसकी फाईनेंस राशि की अदायगी आपको अनुबन्धनुसार नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहन मेरी अभिभाष्या कम्पनी के पास हाइपोथीकेट एवं प्रथम चार्ज रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा। उपरोक्त ऋण अनुबंध में आप कम संख्या 01 ऋणी, आप कम संख्या 02 सहऋणी तथा आप कम संख्या 03 गारन्टर है जोकि ऋण अनुबंध के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक- पृथक रूप से उत्तरदायी है।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आरबीआई के निर्देशानुसार, मेरी अभिभाष्या कम्पनी के द्वारा आपको **5** महिनो की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई थी। **25128/-** रुपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तीय सुविधा **715128 -** रुपये की हो गई है। तत्पश्चात आपके आवेदन पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपके उक्त ऋण अनुबन्ध संख्या **5316644** पर पुनर्गठन कि सुविधा भी दिनांक **03-Jul-21** को दी गयी थी एवं आपकी वित्तीय सुविधा पुनर्गठन के उपरान्त **790568/-** रुपये की हो गयी है।
- यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार एवं ऋण पुनर्गठन के पश्चात आपको फाईनेंस राशि की अदायगी रुपये **18860/-** कि **59** नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती उक्त वाहन को आपको अपने आधिपत्य में रखना था एवं मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाना था। निष्पादित अनुबन्ध में यह तय पाया गया था कि आप द्वारा तयशुदा समय पर किश्त की अदायगी में चूक कारित करने पर या अनुबन्ध की किसी भी शर्त को भंग करने पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी को ऋण सुविधा को रिकॉल करने एवं वित्तीय सुविधा पर दिए गए प्रश्नगत वाहन को अपने आधिपत्य में लेने एवं बेचान करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपको सूचित करते हुए खेद व्यक्त करती है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तों से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर ऋण अनुबंध की शर्तों को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निरन्तर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे हैं। मेरी अभिभाष्या कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। आपका प्रश्नगत वाहन पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार भी समाप्त हो गया है परन्तु आप द्वारा प्रश्नगत वाहन का कब्जा भी मेरी अभिभाष्या कम्पनी को सुपुर्द नहीं किया है। आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण मेरी अभिभाष्या कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।
- यह कि आप द्वारा निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों में लगातार चूक कारित किये जाने के कारण ऋण अनुबंध की शर्तों के तहत आपके द्वारा डिफाल्ट कारित किया गया है। अतः मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपकी ऋण सुविधा को रिकॉल किया जाता है। आपके जिम्मे मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार आज दिनांक तक कुल फोरक्लोजर राशि **353667/-** रुपये बकाया है, जिसे मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कृपया सूचित रहें कि उपरोक्त अनुरोध की विफलता की स्थिति में, यह माना जाएगा कि ऋण अनुबंध की शर्तों के तहत विवाद उत्पन्न हो गया है और उक्त विवाद को ऋण समझौते के अनुसार पंच महोदय को मध्यस्थता के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।

लिहाजा आपको उक्त विधिक नोटिस प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप उक्त विधिक नोटिस की दिनांक से 7 दिवस में मेरी अभिभाष्या कम्पनी के नजदीकी शाखा कार्यालय पर अपने जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोरक्लोजर राशि तुरन्त प्रभाव से अदा कर रसीद प्राप्त कर ले अन्यथा मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार आधिपत्य में लेने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं प्रश्नगत वाहन को आधिपत्य में लिये जानें के पश्चात मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार अधिकतम कोटेशन राशि पर विक्रय कर बेचान राशि आपके ऋण खातों में समायोजित कर दी जावेगी व यदि कोई शेष बकाया रहा तो वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि वाहन के दस्तावेज आर.सी., परमिट इत्यादि सुपुर्द कर दें ताकि अधिकतम राशि पर वाहन विक्रय हो सके नही तो डुप्लीकेट पेपर की आरटीओ में कार्यवाही भी आपके खर्चे पर की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरी अभिभाष्या कम्पनी को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत एवं प्रचलित विधि के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। अतः आप सूचित रहें।

भवदीय


महेन्द्र कुमार शर्मा
(एडवोकेट)